भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3914

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

गन्ने की उत्पादकता और जैव ईंधन का विस्तार

3914. **श्रीमती रूचि वीरा :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह मानती है कि गन्ना आधारित एथेनॉल उत्पादन के विस्तार से किसानों की आय बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और देश में सतत कृषि को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और अन्य अनुमोदित कच्चे माल के सतत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं;

(ग) गन्ने की उत्पादकता, जल उपयोग दक्षता, जलवायु अनुकूल खेती और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एथेनॉल की बढती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना किसानों को वित्तीय सहायता, अनुसंधान सहयोग और तकनीकी सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ड़) किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, जैव ईंधन उत्पादन, संसाधन संरक्षण और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता पर इन पहलों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) सरकार चीनी मिलों को देश में एथेनॉल बनाने के लिए केवल अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। अधिशेष चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए भेजने से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसके परिणामस्वरूप, चीनी मिलें किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) समय पर चुका पा रहीं हैं। सरकार द्वारा हर वर्ष एफआरपी में बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लाभ हुआ है।

(ख) सरकार हर चीनी मौसम में गन्ने के उत्पादन के अनुमानों पर नियमित रूप से नज़र रखती है। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू खपत के लिए उचित कीमतों पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध हो। सरकार चीनी मिलों को देश में एथेनॉल बनाने के लिए केवल अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए।

सरकार देश में खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। एफसीआई चावल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की ज़रूरतों को पूरा करने और बफ़र स्टॉक बनाए रखने के बाद, केवल अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध होने पर ही, एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा मक्का को वैकल्पिक फीडस्टॉक के तौर पर बढ़ावा देने से भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ा है। सम्मिश्रण के उद्देश्य से एथेनॉल की आपूर्ति के लिए मक्का सबसे बड़े फीडस्टॉक के रूप में उभरा है।

देश में खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने और सुनिश्चित करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), (पूर्व में एनएफएसएम) लागू कर रहा है। जिसका

उद्देश्य चावल, गेहूं, मक्का, जौ और अन्न श्री जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलें भी शामिल हैं।

(ग) एनएफएसएनएम के तहत गन्ने घटक से जुड़े कामों के लिए मिश्रित फसल और सिंगल बड चिप प्रणाली के प्रदर्शन, प्रजनक बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन से तैयार पौधों के उत्पादन/आपूर्ति, पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन और जैव-एजेंट के वितरण और प्रशिक्षण के लिए मदद दी जा रही है। सरकार राज्यों को 'प्रधानमंत्री - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (पीएम-आरकेवीवाई) के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हिस्से के तहत गन्ने सहित राज्य की खास ज़रूरतों/प्राथमिकताओं के लिए लचीलापन भी देती है।

देश में सतत कृषि के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), और मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना। पीडीएमसी योजना सूक्ष्म-सिचाई प्रणाली (जैसे बूंद और छिड़काव सिंचाई) के ज़रिए खेत के स्तर पर पानी के प्रयोग की क्षमता को बढ़ाती है। पीकेवीवाई और एनएमएनएफ को क्रमशः किसानों के बीच जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना उर्वरक के सही और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत दो संस्थान -आईसीएआर - भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और आईसीएआर -गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर - गन्ने पर 'अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना' (एआईसीपीआर) के साथ मिलकर बुनियादी, व्यावहारिक और रणनीतिक अनुसंधान कर रहे हैं और गन्ने की ज़्यादा पैदावार देने वाली और जलवायु के अनुकूल किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों (2021-2025) के दौरान, गन्ने की 47 किस्में जारी और अधिसूचित की गई हैं जिनमें 16 किस्में सूखा/नमी की कमी/पानी की कमी को सहने वाली; 9 किस्में बाढ़/पानी

में डूबे रहने/जल-जमाव को सहने वाली; 7 किस्में खारेपन/मध्यम खारेपन/क्षारीयता/सोडिक मिट्टी को सहने वाली और एक किस्म ठंड/पाला/सर्दियों की ठंड को सहने वाली सहित 33 किस्में चरम जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम हैं।

(घ) पिछले पांच वर्षों में, 2,51,941.5 क्विंटल गन्ने की बुवाई के लिए सामग्री तैयार करके किसानों को आपूर्ति की गई। इसके अलावा, 855.6 लाख यूनिट बुवाई के लिए सामग्री और 52.3 लाख यूनिट ऊतक-संवर्धन से तैयार पौधे किसानों को आपूर्ति किए गए। साथ ही, सरकारी संस्थान खास जगहों के हिसाब से उत्पादन और सुरक्षा की तकनीकें भी विकसित कर रहे हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए किसानों तक पहुँचाया जाता है।

सरकार ज़्यादा पैदावार देने वाली और जलवायु अनुकूलन गन्ने की किस्मों और बेहतर फसल उत्पादन व सुरक्षा तकनीकों को विकसित और प्रसारित करके किसानों और अन्य हितधारकों की मदद करती है। बेहतर तकनीकों को अपनाने में आसानी के लिए नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रदर्शन, किसानों के लिए प्रशिक्षण, फील्ड दिवस और तकनीकी सलाह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार तकनीक की जांच-परख, बीज उत्पादन और बेहतर उत्पादन व सुरक्षा तकनीकों के प्रसार के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभागों, चीनी मिलों और अन्य हितधारकों के साथ भी मिलकर काम करती है।

(ङ) अतिरिक्त गन्ने का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाने से चीनी मिलों को नकदी मिलती है, जिससे वे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर पाती हैं। पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), पर प्रति बूँद अधिक फसल (पीडीएमसी), मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना जैसी पहल/योजनाएं सतत, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने वाली और कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देती हैं। साथ ही, जलवायु अनुकूल फसलें फसल खराब होने का जोखिम कम करती हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों से गन्ने की खेती में लंबे समय तक सततता आती है।
